कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ

लखनऊःदिनांक 29.10.2022

यू0पी0 नीट पी0जी0–2022–23 की द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग हेतु महत्वपूर्ण निर्देश।

1- SAC(Seat against cancellation) यह काल्पनिक सीट है, SAC (GNOP) के अन्तर्गत प्रदर्शित सीट का उद्देश्य उन सीटों के सापेक्ष सभी कैटेगरी/सब कैटेगरी के अभ्यर्थियों से विकल्पों को लेना है। आवंटन के समय किसी अभ्यर्थी की सीट अपग्रेड होती है, तो उसकी सीट पूर्व प्रवेशित सीट के उसी कैटैगरी/सब कैटैगरी में चली जाएगी तथा नियमानुसार मेरिट कम विकल्प के आधार पर किसी और अभ्यर्थी को आवंटित हो जाएगी।

Acutal Vacancies - The seats which have not been allotted in Round-1, Not Reported in Round-1 and Resigned from Round-1.

Virtual Vacancies – Any candidates who has been admitted to seats in Round-1 and has opted for up-gradation in Round 2, that admitted seats of Round 1 will be shown as virtual vacancy in Round 2 and Candidates can fill the said seat during the choice filling in Round 2. However, such seats will be allotted in Round 2 if the admit candidate of Round 1 vacates/upgrades in Round 2.

2. द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में सीटों का आवंटन/उच्चीकरण द्वितीय मेरिट के आधार पर होगा।

3- Choice Locking और Login Password एक ही है अतः Choice Locking के लिए वही Password use करें, जो Login करते समय किया था।

4. विकल्पों को भरने (Choice Filling) के उपरान्त उनको Lock करना अनिवार्य है। Choice Lock न करने की स्थिति में उनको सीट आवंटन की प्रक्रिया से सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

5. पहले से आवंटित (प्रवेशित) सीट का विकल्प भरना अनिवार्य नहीं है। यदि नये विकल्पों के आधार पर कोई सीट आवंटित नहीं होती है, तो पुरानी आवंटित सीट Retain रहेगी।

6. नये आवंटन की दशा में पुराना आवंटित कालेज की सीट का आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, उस पर किसी भी दशा में कोई अधिकार नहीं रहेगा।

7. यदि विकल्पों में पुराना आवंटित कालेज भरा गया और वह फिर से नये आवंटन की तरह से आवंटित हो गया, तो पुनः नोडल सेन्टर पर उपस्थित होकर सीट पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न करनी होगी, अन्यथा की स्थिति में प्रवेश निरस्त हो जायेगा।

8. द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से आवंटन के पश्चात् अभ्यर्थी को राजकीय मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय अथवा निजी क्षेत्र के अभ्यर्थी सम्बन्धित नोडल सेन्टर पर उपस्थित होकर अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करानी होगी।

9. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित सीट पर प्रवेश ले लिया है, अपग्रेड नहीं करना चाहते है, उन्हें द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में विकल्प (Choice) भरने की आवश्यकता नहीं है।

10. आवंटन प्राप्त समस्त अभ्यर्थियों को राजकीय/स्वशासी/नोडल सेन्टर स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराना अनिवार्य है।

11. द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग से आवंटन/पुनरावंटन होने के फलस्वरूप प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत सभी अभ्यर्थी अपने अपने कालेज मे रिपोर्ट करेंगे।

महानिदेशक